Kisan Mukti Sansad

आइए, किसान की पूर्ण कर्ज़मुक्ति और उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एकजुट हों

हर आधे घंटे में भारत में एक किसान आत्महत्या करता है. कहीं हम भी तो इसके ज़िम्मेदार नहीं?

हालांकि बात सुनने में कडवी लगती है, लेकिन सच तो यही है. आज भारत का किसान चाहे वह ज़मीन का मालिक हो, बंटाई या किराए की ज़मीन पर खेती करता हो, महिला, दलित, आदिवासी किसान हो या भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो; कंगाली की हालत में आ गया हैं. आँकड़े बताते हैं कि किसान पर क़र्ज़ का बोझ बढ़ा है, खेती एक नुकसान का सौदा बन गया है, और देश का किसान बुरी तरह से क़र्ज़ के बोझ तले दब गया है. हमारी सरकारों और समाज ने अपने अन्नदाता को उसकी नियति के सहारे छोड़ दिया है. किसान को न सिर्फ आर्थिक तौर पर लूटा गया है, बल्कि उनकी गरिमा पर भी चोट पहुंचाई गई है.

आज देश का किसान इस हालत में इस लिए पहुँचा है क्योंकि सरकारों और समाज ने उसकी दुर्दशा पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया. मौसम के रुख और बाज़ार के उतार- चढ़ाव के अलावा उसे बैंकों और साहूकारों की दया पर भी निर्भर रहना पड़ता है. इतने सारे जोखिमों से जूझने के बावजूद अक्सर अपनी उपज का पूरा दाम पाना तो दूर, किसान फसल की लागत तक वसूल नहीं कर पाता. यहाँ तक कि सरकार भी खुद किसी फसल की जितनी अनुमानित लागत बताती है, उससे कहीं कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करती है. इस तरह लगातार घाटा सहकर कोई किसान कब तक खेती- किसानी से जुड़ा रहेगा. कब तक वह खेती से अपने परिवार का भरण- पोषण कर पाएगा.

सरकारों की नीतियाँ किसानों की इस दुर्दशा की अनदेखी करती हैं, और उनके हितों के खिलाफ हैं. किसानों के मुद्दे पर पर समाज के बड़े हिस्से की चुप्पी भी बहुत दुखद है. चुप रहकर हम सबने हालात को लगातार बिगड़ने दिया है. पिछले कुछ समय में किसानों ने कई आन्दोलन किए. अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस की गोलियां तक खाईं, लेकिन इस सब के बावजूद सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं. इन अनुभवों से यह स्पष्ट था कि सरकारें तब तक नहीं चेतेंगी, जब तक नागरिक ज़ोरदार प्रतिकार न करें. इसे ध्यान में रखते हुए पहली बार अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले डेढ़ सौ से अधिक किसान संगठन एक मंच पर आए. समन्वय समिति की प्रमुख माँगें निम्न हैं:

1) लागत का उचित तथा लाभकारी मूल्य

किसान को उपज की कुल लागत का ड्योढा मूल्य मिलना चाहिए. पिछले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वायदा भी किया था. राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मांग है कि इसे सभी फसलों, दुग्ध उत्पादों, लघु वनोपज आदि के लिए भी लागू किया जाए. इसके लिए कानूनी प्रावधान बनाया जाए. साथ यह भी सुनिश्चित हो कि इन प्रावधानों का लाभ सभी किसानों को मिले.

2) क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मांग है कि सरकार द्वारा सभी किसानों को बैंकों, सहकारी समितियों तथा साहूकारों आदि से लिए हुए सभी प्रकार के कर्जों से पूरी तरह से मुक्त किया जाए. एक बार पूर्ण क़र्ज़ मुक्ति के साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि कहीं किसान फिर से क़र्ज़ के जाल में न फंसे. इसके लिए फसल बीमा तथा दैवी आपदाओं के लिए मुआवज़े की योजनाएं प्रभावी रूप से चलाई जाएं, तथा कम या शून्य लागत की खेती को बढ़ावा दिया जाए.

देश के 19 राज्यों में हज़ारों किलोमीटर की किसान मुक्ति यात्राओं का सफलतापूर्वक आयोजन करने के बाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 20 नवम्बर 2017 को दिल्ली में किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया है. हम देश के अन्नदाता के हक में खड़े होने के लिए आपको भी आमंत्रित करते हैं. अब समय आ गया है, जब देश किसान भाई बहनों के साथ उनके इस संघर्ष में उठ खड़ा हो. स्थिति गंभीर ज़रूर है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं. चुप रहना अब विकल्प नहीं है. अन्नदाता का क़र्ज़ चुकाने का समय आ गया है. पर्चे के अंत में दिए विवरण के अनुसार संपर्क करके आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं. आप इस पर्चे की प्रतियां छपवाकर वितरित कर सकते हैं, और हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC)
कार्यालय: ME-3, सहविकास सोसाइटी, 68 इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110092
aikscc.india@gmail.com | facebook.com/aikscc | @aikscc | 9817410041
@HumKisan

हेल्पलाइन
9817410041